न्यायालय् श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी प्र. क्र.: नि० 3920 II-15 सन् – 2015

श्रीमती मालती वेवा मोती लाल बालमीक
निवासी ग्राम ईशानगर हाल निवासी ग्राम पठादा
तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.) .... निगरानीकर्ता

बनाम

1. गोविन्दी तनय कामतुआ अहिरवार
2. ब्रजलाल तनय कामतुआ अहिरवार
3. प्यारेलाल तनय कामतुआ अहिरवार
समस्त निवासीगण ईशानगर तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.
4. म.प्र. शासन ....उत्तरवादीगण

निगरानी अंतर्गत धारा –50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 10.05.2015 प्रकरण क्र.–39/अ–12/14–15 राजस्व निरीक्षण मण्डल ईशानगर जिला छतरपुर म.प्र.

महोदय,

निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित प्रार्थना करती है –

1. यह कि निगरानीकर्ता ग्राम पंचायत पठादा विकासखंड ईशानगर द्वारा खसरा नं. 464/3 में से 30X30 वर्गफुट का पट्टा दिनांक 30.12.1996 को प्रदान किया गया था दिनांक 30.12.96 के पश्चात् निगरानीकर्ता उक्त भूमि पर भवन निर्माण कर निवास कार्य कर रही है एवं लगभग 17–18 वर्षों से निगरानीकर्ता उक्त भूमि पर भवन निर्माण कर काबिज है।

2. यह कि उत्तरवादी क्र.–1 द्वारा अपनी भूमियों के सीमांकन हेतु अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक ईशानगर को दिनांक 20.04.2015 को प्रस्तुत किया है एवं उत्तरवादी क्र.–1 द्वारा निगरानीकर्ता को सूचना दिये बिना एवं राजस्व कर्मचारियों से मिलकर निगरानीकर्ता का भवन हड़पने के उद्देश्य से विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 10.05.2015 को सीमांकन आदेश पारित करा लिया है। जिसके विरूद्ध सादर निम्नलिखित कारणों के आधार पर उक्त निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

– निगरानी के आधार –

3. यह कि दिनांक 30.12.1996 को ग्राम पंचायत पठादा विकासखंड ईशानगर द्वारा निगरारनीकर्ता को रिहायसी मकान बनाये जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 464/3 में से 30ग30 वर्गफुट का पट्टा प्रदान किया गया था उक्त पट्टा प्रदान किये जाने के पश्चात् आवेदिका अपने स्वत्व व आधिपत्य की आबादी भूमि पर रिहायसी मकान बनाकर निवास कर रही है। उत्तरवादी क्र.–1 निगरानीकर्ता को वेवा होने एवं गरीब हरिजन होने का फायदा उठाकर निगरानीकर्ता का उक्त भवन हड़पना चाहते है एवं उक्त भवन हड़पने के उद्देश्य से अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों से मिलकर सीमांकन आदेश दिनांक 10.05.2015 पारित कराकर आवेदिका का रिहायसी मकान अपनी भूमि में सीमांकन करा लिया। उक्त तथ्य की पुष्टि अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों द्वारा मौके पर बनाये गये पंचनामें से भी होती है एवं उक्त पंचनामें पर कई ग्रामवासियों के भी हस्ताक्षर है।

4. यह कि प्रश्नाधीन भूमि पर निगरानीकर्ता 17–18 वर्षों से रिहायसी मकान

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3920–II /2015 जिला–छतरपुर

श्रीमती मालती विरूद्ध गोविन्दी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25–02–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री आर.डी.शर्मा अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल ईशानगर, जिला–छतरपुर के प्र. क्र. 39/अ–12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 10–05–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 18–04–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 25/2/2019	